

पत्र संख्या-एडी0कमि0 (प्र0) कैम्प (2017-18)/

1454 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(एडी0कमि0प्र0कैम्प)

लखनऊ : दिनांक : 09 जून, 2017

// आदेश //

वाणिज्य कर मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि कैशलेश की सुविधा अभी पूर्ण रूप से लागू न होने के बावजूद प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा अपनी स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धी प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जो उचित नहीं है।

अतः कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके कार्यालय में कैशलेश सुविधा का कार्य जब-तक पूर्ण न हो जाय तब-तक किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत उसके स्वास्थ्यता से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों पर रोक न लगायी जाय। नियमानुसार प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर आवश्यक कार्यवाही किया जाय।



(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।